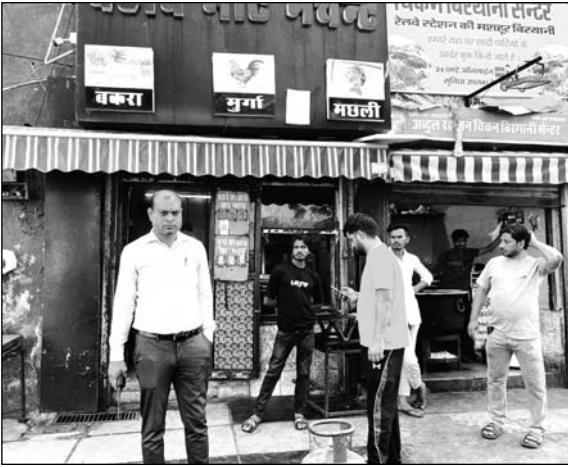


प्रतिबंधित दिन मंगलवार को खुली मीट की दुकानें, निगम ने की सीज

300 किलो मछलियां की जब्

जयपुर। हेरिटेज नगर निगम की सिविल लाइंस जोन टीम और पशु प्रबंधन शाखा द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर प्रतिबंधित दिवस पर खुले मीट की दुकानों को बंद करवाया गया। वहीं, 22 गोदाम क्षेत्र में एक ट्रक में लाई गई 300 किलो अवैध मछली नष्ट की गई है।

यह पूरा अभियान हेरिटेज नगर निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल के निर्देश पर चलाया गया, जिसकी अगुवाई सिविल लाइंस जोन के उपायुक्त सुनील कुमार बैरवा ने की। हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल के निर्देश पर मंगलवार सुबह सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए उपायुक्त जब रेलवे स्टेशन हसनपुरा क्षेत्र पहुंचे तो उन्होंने पाया कि प्रतिबंध के बावजूद मीट की दुकानें संचालित हो रही थीं, जो निगम के नियमों का खुला उल्लंघन था। ऐसे में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त सुनील कुमार बैरवा ने तुरंत पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश शर्मा को मौके पर बुलाया और कार्रवाई के निर्देश दिए। पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके



नगर निगम की सिविल लाइंस जोन टीम और पशु प्रबंधन शाखा ने संयुक्त अभियान चलाकर प्रतिबंधित दिवस पर खुले मीट की दुकानों को बंद करवाया ।

पर पहुंचकर बिना लाइसेंस संचालित दो दुकानों को तुरंत प्रभाव से सील कर दिया। यह दुकानें पूर्व में भी नियम उल्लंघन के चलते चिन्हित की जा चुकी थीं।

इसके बाद उपायुक्त सुनील बैरवा ने डीएलबी कार्यालय के समीप 22 गोदाम पुलिया के नीचे

■ हेरिटेज निगम आयुक्त के निर्देश पर सिविल लाइन जोन की कार्रवाई

निधि पटेल ने बताया कि अवैध मांस और मछली विक्रय शहर की स्वच्छता व्यवस्था और नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। मंगलवार को सरकार द्वारा मीट मछली की दुकानों पर पाबंदी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निगम भविष्य में भी इस प्रकार के औचक निरीक्षण और सख्त कार्रवाइयों को जारी रखेगा। इस दौरान निगम आयुक्त ने आमजन से अपील की कि वे ऐसे अवैध व्यापार की सूचना तुरंत निगम प्रशासन को दें, ताकि त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकें। वहीं, आमजन ने निगम की इस तत्परता और सख्ती की सराहना की है। लोगों का मानना है कि इस प्रकार की कठोर कार्रवाई से शहर में अव्यवस्था पर लगाम लगेगी और स्वच्छ, सुसंछित वातावरण की दिशा में ठोस कदम बड़ेगा।

हेरिटेज निगम ने हटाए अतिक्रमण

जयपुर। सड़क और बरामदे पर अस्थाई अतिक्रमण के खिलाफ हेरिटेज निगम लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। मंगलवार को हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल के निर्देश पर उपायुक्त सतर्कता पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने अभियान चलाया। इस दौरान निगम दस्ते ने छोटी चौपड़, चांदपोल, वनस्थली मार्ग, रेलवे स्टेशन, सिंधी कैप, 22 गोदाम पुलिया, घाटगेट, ट्रांसपोर्ट नगर, ब्रह्मपुरी इलाके में अस्थाई अतिक्रमण को हटा दिया।

मानसागर में मछलियों को दाना डालने पर लगेगी पाबंदी

■ ‘जल महल की पाल पर अतिक्रमण होने पर की जाएं सख्त कार्रवाई’

जयपुर। जल महल पर सफाई सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हेरिटेज निगम सख्त कदम उठाने जा रहा है। इस

संबंध में हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल ने मानसागर मछलियों को दाना डालने पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा आयुक्त निगम ने कहा कि जल महल की पाल पर अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएं और सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए गंदगी फैलाने

पर भारी जुर्माना राशि वसूल की जाए। अस्थाई अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सामान जब्द किया जाएं और उसे छोड़ा नहीं जाएं नहीं मानने पर संबंधित के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाए। निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल ने निर्देश दिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करते

स्कूल फीस रिवीजन कमेटी को लेकर याचिका निस्तारित

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल फीस से जुड़े विवादों की सुनवाई को लेकर रिवीजन कमेटी का गठन नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका को निस्तारित कर दिया है। अदालत ने कहा कि रिवीजन कमेटी का गठन हो चुका है और कमेटी ने याचिकाकर्ता के संबंध में डिबीजनल कमेटी के आदेश को गलत मानते हुए उसे दो माह में नए फिरे से आदेश पारित करने को कहा है। जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीट ने यह आदेश भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम की ओर से दायर याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बीएस छाबाने ने कहा कि रिवीजन कमेटी का गठन किया जा चुका है और इसका गजट नोटिफिकेशन भी हो चुका है। वहीं कमेटी ने याचिकाकर्ता के संबंध में डिबीजनल कमेटी के आदेश को गलत मानते हुए उसे दो माह में नए फिरे से आदेश पारित करने को कहा है। ऐसे में याचिका को निस्तारित

किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीट ने याचिका को निस्तारित कर दिया है।

याचिका में अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता स्कूल की फीस निर्धारण को लेकर स्कूल फीस कमेटी ने निर्णय लिया था। इस कमेटी के आदेश को कुछ अभिभावकों ने डिबीजनल कमेटी के समक्ष चुनौती दी। वहीं डिबीजनल कमेटी ने स्कूल फीस कमेटी के आदेश को गलत माना। याचिका में कहा गया कि फीस नियंत्रण अधिनियम की धारा दस में डिबीजन कमेटी के आदेश को चुनौती देने के लिए रिवीजन कमेटी के गठन का प्रावधान है, लेकिन राज्य सरकार ने बीते नौ साल से इस रिवीजन कमेटी का गठन ही नहीं किया है। जबकि मई, 2024 में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत में अंडरटेकिंग दी थी कि तीन सप्ताह में रिवीजन कमेटी का गठन कर लिया जाएगा।

जेडीए ने दो स्थानों से अतिक्रमणों को हटाए

जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-2 में विद्याधर नगर अलका सिनेमा के सामने रोड़ न.1 की फुटपाथ, सडक सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-7 में टैगोर नगर हनुमान बाटिका अजमेर रोड पर रोड सीमा में पेच रिपेयर कार्य को ध्वस्त कर रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र बिश्नोई ने बताया को जोन-02 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित विद्याधर नगर अलका सिनेमा के सामने रोड़ न. 1 की फुटपाथ, सडक सीमा पर करीब 15 स्थानों पर अस्थाई अतिक्रमण कर लगाये गये थडी, टेले, टेबल, कुर्सियां,

बांस, तम्बू, तिरपाल, पत्थर की पट्टियां इत्यादि लगाकर अतिक्रमण किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-02 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से हटवाया गया फुटपाथ, रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

टैगोर नगर हनुमान बाटिका अजमेर रोड पर सडक सीमा में आ रहे अवैध अतिक्रमण 04 टाइनशेडनुमा कोठरी, लेट-बॉथ, बाउन्ड्रीवाल इत्यादि अवैध निर्माण अतिक्रमणों को निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता का ध्वस्त किया।

जलभराव निस्तारण के लिए युद्धस्तर पर अभियान जारी

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण वर्षा के दौरान उत्पन्न हो रही समस्याओं-विशेषतः सड़कों की क्षति और जलभराव-के निस्तारण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आमजन की सुविधा एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जेडीए द्वारा शहरभर में पेच रिपेयर कार्य व जलनिकासी की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने बताया कि हाल की भारी वर्षा के कारण कई प्रमुख सड़कों में पेच रिपेयर कार्य करने में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए, जेडीए ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अधियंताओं को अपने-अपने क्षेत्र में पेच रिपेयर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जेडीए की प्राथमिकता शहरवासियों को बेहतर सड़कें उपलब्ध कराना है।

केबिनेट मंत्री कुमावत ने सरकारी आवास पर सुनी समस्याएं

जयपुर। राजस्थान सरकार के पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के केबिनेट मंत्री जोरामन कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार व मुख्यामंत्रि भजनलाल शर्मा आमजन की परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए पूरी तरह से संवेदनशील हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेश में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की समस्या का समाधान हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस

जयपुर। राजस्थान सरकार के पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के केबिनेट मंत्री जोरामन कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार व मुख्यामंत्रि भजनलाल शर्मा आमजन की परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए पूरी तरह से संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेश में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की समस्या का समाधान हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस

ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल कर चयनित कनिष्ठ लिपिक संगीता गिरफ्तार

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की टीम ने कार्रवाई करते हुए ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल कर चयनित कनिष्ठ लिपिक संगीता बिश्नोई को गिरफ्तार किया है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी राजस्थान जयपुर वीके सिंह ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की ओर से कनिष्ठ न्यायिक सहायक लिपिक ग्रेड-द्वितीय एवं लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (2022) 12 मार्च 2023 एवं 19 मार्च 2023 को दिन में समय 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की गई थी। आरोपित संगीता बिश्नोई का परीक्षा 19 मार्च 2023 को परीक्षा केन्द्र आरएनबी यूनिवर्सिटी बीकानेर (राजस्थान) था । संगठित नकल गिरोह के मुख्य आरोपित पौरव कालेर निवासी छाप



जिला चूरू ने सालासर से मोबाइल फोन के माध्यम से आरोपित संगीता बिश्नोई को परीक्षा केन्द्र में ब्ल्यूटूथ डिवाइस से प्रश्न पत्र के उत्तरों की नकल करवाई थी। संगीता बिश्नोई उक्त सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षा के बीच चयनित होने गई थी एवं धोखाधड़ी पूर्वक कनिष्ठ श्रेणी लिपिक (ग्रेड-द्वितीय) के पद पर

ताल कटोरा की पाल पर खिलाए जाएंगे पारंपरिक खेल

जयपुर। हेरिटेज निगम की ओर से तीज महोत्सव आयोजन के तहत इस बार शहरवासियों को पारंपरिक खेल भी खिलाए जाएंगे। जिसके लिए हेरिटेज निगम प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में हेरिटेज निगम की सांस्कृतिक समिति चेयरमैन ज्योति चौहान ने बताया कि हेरिटेज निगम महापौर कुसुम यादव के नेतृत्व में पारंपरिक तीज त्यौहार पर इस बार नगर निगम हेरिटेज की ओर भव्य आयोजन किए जाएंगे। जिससे शहरवासियों को हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी भी मिले। ऐसी के तहत तीन दिवसीय तीज महोत्सव आयोजन में कई विभिन्न गतिविधियां कराई जाएंगी। 27 जुलाई को शहरवासियों को रमाल झण्डा, म्यूजिकल चेयर, खो खो, सितोलिया जैसे पारंपरिक खेल खिलाए जाएंगे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कच्ची घोड़ी, केमल कार्ट, राजस्थानी फांक डांस और सावन के गीतों की परफॉर्मेंस दी जाएगी। इससे पहले तीज मास की सवारी का पूजन भी किया जाएगा।

‘मुठ्ठी भर उम्मीदवारों के लिए 22 लाख के हितों की नहीं ली जा सकती बलि’

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी-2025 परीक्षा को पुनः आयोजित कराने के संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि मुठ्ठी भर उम्मीदवारों के शिकायत के निवारण के लिए देशभर में आयोजित की गई परीक्षा में शामिल 22 लाख अभ्यर्थियों के हितों की बलि नहीं ली जा सकती। इसके साथ ही अदालत ने परीक्षा को पुनः आयोजित कराने और बोनस अंक देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीट ने यह आदेश रोशन यादव व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिकाओं में कहा गया कि देशभर के 552 शहरों और 14 इंटरनेशनल केन्द्रों में नीट यूजी-2025 परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसमें सौकर जिले में 98 परीक्षा केन्द्र बनाए गए और 31,787 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस दौरान बिजली गुल होने सहित

■ हाईकोर्ट ने नीट यूजी-2025 परीक्षा को पुनः आयोजित कराने के संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया

अन्य समस्याओं को लेकर 15 केन्द्रों की परीक्षा प्रभावित हुई और इसमें शामिल 5,390 अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान प्रतिकूल प्रभावित हुए। याचिका में कहा गया कि जिले के कई परीक्षा केन्द्रों में पांच मिनट से लेकर 28 मिनट तक बिजली गुल रही। इस विफलता के कारण याचिकाकर्ताओं का प्रदर्शन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ और उन्हें अनावश्यक तनाव झेलना पड़ा। याचिका में यह भी कहा गया कि अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार याचिकाकर्ताओं के अंक 400 से 600 के बीच आए हैं और अधिकांश याचिकाकर्ता कट ऑफ

के करीब थे। यदि परीक्षा में व्यवधान नहीं होता तो वे उच्च अंक प्राप्त कर चयनित होते। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता एमएस राघव ने बताया कि कुल अभ्यर्थियों में से सिर्फ आधा फीसदी अभ्यर्थियों ने ही शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा केवल मुठ्ठी भर उम्मीदवार हाईकोर्ट पहुंचे हैं और 99.5 फीसदी अभ्यर्थी परीक्षा संचालन से संतुष्ट नजर आए हैं।

इसके अलावा तुफान और खराब मौसम के कारण बिजली गुल होना नियंत्रण में परे था। वहीं मामले में एक कमेटी भी गठित की गई थी। जिसने पाया कि प्रभावित परीक्षा केन्द्रों और सामान्य केन्द्रों में कोई अंतर नहीं था और ना ही याचिकाकर्ताओं को कोई नुकसान हुआ। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

आयुक्त सैनी ने हिंगोनिया गौशाला का किया निरीक्षण

जयपुर। नगर निगम ग्रेटर की पशु प्रबंधन शाखा मिशन मोड पर कार्य कर रही है। आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने मंगलवार को हिंगोनिया गौशाला का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त पशु प्रबंधन, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुधन सहायक एवं कृषण बलराम सेवा ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने मानसून के मध्यनजर रखते हुए गौशाला की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने तत्काल प्रभाव से साफ-सफाई, जल निकासी, पशुओं के लिए चारे व चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था को सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

इसके अतिरिक्त, सैनी ने नंदीशाला एवं बृहददेशीय पशु चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया तथा वहाँ रह रहे देशी गोवंश की स्थिति और उनकी देखरेख से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

■ नगर निगम ग्रेटर की पशु प्रबंधन शाखा मिशन मोड पर

■ गत 5 माह में 5 हजार 500 निराश्रित गौवंश को पकड़कर हिंगोनिया गौ-पुनर्वास केंद्र पहुंचाया

नगर निगम ग्रेटर आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के दिशा निर्देशानुसार पशु प्रबंधन शाखा द्वारा गत 5 माह में नगर निगम ग्रेटर क्षेत्राधिकार से निराश्रित 5 हजार 500 गौवंश को पकड़कर हिंगोनिया गौ-पुनर्वास केंद्र भेजा गया। इसके अतिरिक्त रोगी पशु वाहन (एंबुलेंस) द्वारा लगभग एक हजार गौवंश को उपचार हेतु गौ-पुनर्वास केंद्र हिंगोनिया के पशु चिकित्सालय में उपचार कराया गया।

60 वर्ष पुराना भूमि विवाद हल

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा आयोजित पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्वत् पखवाड़ा- 2025 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पैंवालिया के ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ रूपवास में मंगलवार दिनांक 08.07.2025 को आयोजित शिविर में 73 बीघा कृषि भूमि को लेकर ग्रामवासी गोपाल, दयाल व हरजीराम वगैरह में लगभग 55-60 वर्षों से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसे लेकर उक्त सभी कृषक अभियान में उपखण्ड अधिकारी सांगानेर हिम्मतसिंह के समक्ष प्रस्तुत हुए। मौके पर उपखण्ड अधिकारी तथा सरपंच पैंवालिया रामराज चौधरी, भू.अ.निरीक्षक विशाल सिंहल तथा पटनारी हल्का राहुल गंगावत के प्रयास स्वरूप उक्त भूमि के विभाजन के लिए सहमति बनी। सभी खातेदार सहमत हुए, जिसमे मौके पर ही सहमति विभाजन स्वीकृत कर राजस्व रिवाई में अमलदरपाम किया गया। इस अवसर पर समस्त खातेदारों द्वारा वहाँ पुराने विवाद के निस्तारण पर प्रशंसन व पंचायत को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

को नियमित रूप से होने वाली जनसुनवाई प्रदेश में संवेदनशील सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है।

जनसुनवाई में भी बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया और समस्याओं के समाधान को लेकर आश्वस्त नजर आए। इस दौरान विधायक जयदीप बिहारी, विधायक प्रताप सिंह सिंघवी एवं जयपुर जिला प्रमुख रमा देवी चौपड़ा ने मंत्री जोरामन कुमावत से शिष्टाचार भेंट की।

■ विधायकों ने भी इलाके समस्याओं से कराया अवगत

दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए कार्य किया जा रहा है। मंत्री कुमावत ने मंगलवार को सिविल लाईंस स्थित अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई के दौरान कहा कि सरकार की ओर से आमजन को राहत देने के लिए जनसुनवाई की व्यवस्था की गई है।

जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में प्रदेशभर से लोग पहुंचे। जनसुनवाई में शिक्षा, चिकित्सा, जल आपूर्ति, पेंशन, सड़क निर्माण, प्रशासनिक सेवाओं सहित अनेक विषयों से जुड़ी शिकायतें सामने आईं।

केबिनेट मंत्री ने हर आवेदक की बात गंभीरता से सुनी और मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कई प्रकरणों में तुरंत कार्रवाई की पहल कर दी गई। हर सोमवार, मंगलवार व बुधवार